न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 80/2015 **दायर तारीख : 27.07.2015**

1. मामराज पुत्र चन्दर
2. रामस्वरूप पुत्र चन्दर
3. सोनी देवी पत्नि स्व. चन्दर
4. रिछपाल पुत्र स्व. लेखु
5. गुलझारी
6. बिरजू — पुत्रान स्व. गंगाराम
7. नन्दाराम
8. पप्पूराम
9. सन्तरा देवी पुत्री स्व. गंगाराम

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 ——वादीगण

बनाम

1. भगवाना पुत्र स्व. लेखू
2. हरफुल
3. घासी
4. हंसराज — पुत्रान भगवाना
5. ग्यारसीलाल
6. बलराम
7. रामसिंह पुत्र हरफुल
8. महेन्द्र पुत्र घासी
9. नरेन्द्र पुत्र हंसराज
10. धोलाराम पुत्र ग्यारसीलाल
11. छोटू पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

14. मूर्ति देवी पूत्री स्व. चन्दर
15. सुरजी देवी पत्नि श्री मामराज

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तह0 विराटनगर जिला जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादीगण
श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8, 10, 11
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 9
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 01.01.2020

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 232/0.43, 233/0.47, 234/0.40, 235/0.69, 236/0.36, 237/0.14, 238/0.35, 239/0.34, 240/0.39, 242/0.35, 243/0.14, 246/0.40, 247/0.36, 248/0.22, 249/0.34, 250/0.18, 251/0.39 कुल किता 17 कुल रकबा 5.95 हैक्टेयर में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2069–2072 है। आराजी मुतानाजा में सोनी देवी पत्नि स्व. चन्दर, रामस्वरूप मामराज पुत्रान स्व. चन्दर, मूर्ति देवी पुत्री स्व. चन्दर हिस्सा 29/119, सुरजी देवी पत्नि मामराज 90/119 दर हिस्सा 1/4, भगवाना पुत्र लेखू हिस्सा 1/4, गंगाराम, रिछपाल पुत्रान लेखू हिस्सा 1/2 कौम अहीर साकिन देह खातेदारी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार गंगाराम पुत्र लेखू फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 5 लगायत 9 है, जिन्होनें उक्त आराजी में मृतक गंगाराम की 1/4 हिस्से की व अन्य सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है। वाद ग्रस्त आराजी को वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी संख्या 4 रिछपाल एवं वादी संख्या 1 लगायत 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज चंदर ने अपने हिस्से की आराजी की सिंचाई हेतु अपने हिस्से की भूमि में कुंआ बना रखा है, जिसमें वादी संख्या 4 रिछपाल एवं मृतक चंदर ने विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लेकर अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करते आ रहे है। कुछ अर्से पूर्व कुंआ में पानी सूख जाने से वादीगण ने तीन बोरिंग बनाकर अपने भूमि की सिंचाई करते आ रहे हे। तथा विद्युत विभाग में विद्युत खर्च की राशि जमा कराते आ रहे है। वादी संख्या 2 रामस्वरूप ने अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान बना रखा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 भगवान पुत्र छोटू का वाद ग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा हे। तथा उक्त भगवाना अपने हिस्से की भूमि को बारानी के रूप में एक फसली ही काश्त करता आ रहा है। उक्त भगवाना का आराजी मुतनाजा में वादी संख्या 4 रिछपाल व वादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज मृतक चन्दर द्वारा बनाये गए पुख्ता कुआं व उसमें ले विद्युत कनेक्शन तथा वादीगण के बनाए हुए तीन बोरिंग तथा रामस्वरूप वादी द्वारा बनाए हुए पुख्ता मकान से कभी कोई संबंध एवं हक अधिकारी

नहीं रहा है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के आपस में घरेलू बातो को लेकर मनमुटाव हो गया हैं इस कारण प्रतिवादीगण के मन में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के प्रति दुभार्वना आ गई। और उन्होंनें वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना लिया है। और वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण को बिना कसी आधार के बात पर हैरान एवं परेशान करने लग गए। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में हुआ बाहमी बंटवारा की भूमि का बिना कानूनी बंटवारा कराये बिना ही उक्त आरजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहते है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ बनाया है। प्रतिादीगण, वादीगण की उपजाऊ भूमि की हडपने की धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 232/0.43, 233/0.47, 234/0.40, 235/0.69, 236/0.36, 237/0.14, 238/0.35, 239/0.34, 240/0.39, 242/0.35, 243/0.14, 246/0.40, 247/0.36, 248/0.22, 249/0.34, 250/0.18, 251/0.39 कुल किता 17 कुल रकबा 5.95 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर वादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 25 संवत् 2069–2072, असल विद्युत खर्च दिनांक 05.11.2014 विद्युत कनेक्शन संख्या 15060012 बहक वादीगण आदि पेश किए है।
3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. तारीख पेशी दिनांक 29.12.2015 को वकील वादी की बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। बहस बाद मनन प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई।
6. वादीगण द्वारा तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर उजरात प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तथा कथन रहे कि वादी संख्या 2

रामस्वरूप का आराजी खसरा नंबर 249 रकबा 0.34 हैक्टेयर के कुछ भाग पर कृषि उपज एवं कृर्षि यन्त्रों के रखरखाव एव आवास हेतु पुख्ता मकान व पशुओं का बाडा बना रखा है। उक्त आराजी व उसमें बने पुख्ता मकान में आने–जाने के लिए 12 फुट चौडाई का रास्ता खसरा नंबर 250 व 251 के मध्य की डौल से रहा है, लेकिन उक्त रास्ता को कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार कुर्रेजात रिपोट्र राजस्व बंटवारा नियम 18 लगायत 21 के विपरीत होने एवं मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण अपास्त किय जाने योग्य है। यह है कि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय संबंधित प्रार्थीगण/वादीगण को कोई नोटिस एवं सूचना नहीं दी गई। तथा प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर कुर्रेजात रिपोर्ट मनमाने रूप से तैयार की है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि मा. न्यायालय ने अपने आदेश में तहसीलदार विराटनगर को वाद ग्रस्त भूमि की कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु उक्त आदेश की पालना न कर तहसीलदार विराटनगर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मनमानी कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवायी गई है, जो गलत है कानूनन रूप में अपने अधिकार दूसरे को डेलिगेट कर उक्त कुर्रेजात नहीं मंगवायी जा सकती है, इस कारण भी कुर्रेजात रिपोर्ट अपास्त किये जाने योग्य है। तथा कथन रहे कि उजरात प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कुर्रेजात रिपोर्ट को अपास्त कर वाद ग्रस्त आराजी व उसमें स्थित रास्ता सहित पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार विराटनगर से मंगवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

7. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 232/0.43, 233/0.47, 234/0.40, 235/0.69, 236/0.36, 237/0.14, 238/0.35, 239/0.34, 240/0.39, 242/0.35, 243/0.14, 246/0.40, 247/0.36, 248/0.22, 249/0.34, 250/0.18, 251/0.39 कुल किता 17 कुल रकबा 5.95 हैक्टेयर में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2069–2072 है। आराजी मुतानाजा में सोनी देवी पत्नि स्व. चन्दर, रामस्वरूप मामराज पुत्रान स्व. चन्दर, मूर्ति देवी पुत्री स्व. चन्दर हिस्सा 29/119, सुरजी देवी पत्नि मामराज 90/119 दर हिस्सा 1/4, भगवाना पुत्र लेखू हिस्सा 1/4, गंगाराम, रिछपाल पुत्रान लेखू हिस्सा 1/2 कौम अहीर साकिन देह खातेदारी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार गंगाराम पुत्र लेखू फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 5 लगायत 9 है, जिन्होनें उक्त आराजी में मृतक गंगाराम की 1/4 हिस्से की व अन्य सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है। वाद ग्रस्त आराजी को वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना

अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी संख्या 4 रिछपाल एवं वादी संख्या 1 लगायत 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज चंदर ने अपने हिस्से की आराजी की सिंचाई हेतु अपने हिस्से की भूमि में कुंआ बना रखा है, जिसमें वादी संख्या 4 रिछपाल एवं मृतक चंदर ने विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लेकर अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करते आ रहे है। कुछ अर्से पूर्व कुंआ में पानी सूख जाने से वादीगण ने तीन बोरिंग बनाकर अपने भूमि की सिंचाई करते आ रहे हे। तथा विद्युत विभाग में विद्युत खर्च की राशि जमा कराते आ रहे है। वादी संख्या 2 रामस्वरूप ने अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान बना रखा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 भगवान पुत्र छोटू का वाद ग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा हे। तथा उक्त भगवाना अपने हिस्से की भूमि को बारानी के रूप में एक फसली ही काश्त करता आ रहा है। उक्त भगवाना का आराजी मुतनाजा में वादी संख्या 4 रिछपाल व वादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज मृतक चन्दर द्वारा बनाये गए पुख्ता कुआं व उसमें विद्युत कनेक्शन तथा वादीगण के बनाए हुए तीन बोरिंग तथा रामस्वरूप वादी द्वारा बनाए हुए पुख्ता मकान से कभी कोई संबंध एवं हक अधिकारी नहीं रहा है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के आपस में घरेलू बातो को लेकर मनमुटाव हो गया हैं इस कारण प्रतिवादीगण के मन में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के प्रति दुभार्वना आ गई। और उन्होंनें वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना लिया है। और वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण को बिना किसी आधार के बात पर हैरान एवं परेशान करने लग गए। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में हुआ बाहमी बंटवारा की भूमि का बिना कानूनी बंटवारा कराये बिना ही उक्त आरजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहते है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ बनाया है। प्रतिवादीगण, वादीगण की उपजाऊ भूमि की हडपने की धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 पेश किया गया। वादीगण जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 स्वीकार कर, प्रतिवादीगण के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त फरमाया गया। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर

तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादीगण द्वारा आपति प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार विराटनगर को पुनः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति पेश कि गई। मौखिक आपत्ति पर बहस सुनी गई, जिससे मौखिक आपत्ति सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादीगण ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

9. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरजी देवी पत्नि मामराज जाति अहीर सा. देह	235/0.69, 237/0.14, 243/0.14, 248/2/0. 1550 हैक्टेयर
2	भगवाना पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह राहिन जे.टी.जी.बी शाखा जयसिंहपुरा मूर्तहीन	242/0.35, 232/0.43, 233/0.47, 246/0.1950, 248/1/0.0425 हैक्टेयर

3	सोनी पत्नि स्व0 चन्दर, रामस्वरूप, मामराज पिता चन्दर, मूर्ति देवी पुत्री चन्दर कौम अहीर सा. देह	249/0.34, 248/0.0225 हैक्टेयर
4	गंगाराम पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह	247/0.36, 234/0.40, 238/0.35, 236/1/0.1725, 246/1/0.2050 हैक्टेयर
5	रिछपाल पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह	236/0.1875, 239/0.34, 240/0.39, 250/0.18, 251/0.39 हैक्टैयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 01.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. मामराज पुत्र चन्दर
2. रामस्वरूप पुत्र चन्दर
3. सोनी देवी पत्नि स्व. चन्दर
4. रिछपाल पुत्र स्व. लेखु
5. गुलझारी
6. बिरजू — पुत्रान स्व. गंगाराम
7. नन्दाराम
8. पप्पूराम
9. सन्तरा देवी पुत्री स्व. गंगाराम

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

——वादीगण

बनाम

1. भगवाना पुत्र स्व. लेखू
2. हरफुल
3. घासी
4. हंसराज — पुत्रान भगवाना
5. ग्यारसीलाल
6. बलराम
7. रामसिंह पुत्र हरफुल
8. महेन्द्र पुत्र घासी
9. नरेन्द्र पुत्र हंसराज
10. धोलाराम पुत्र ग्यारसीलाल
11. छोटू पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

14. मूर्ति देवी पूत्री स्व. चन्दर
15. सुरजी देवी पत्नि श्री मामराज

समस्त जाति अहीर निवासी बहरमपुर तन छीतौली तह0 विराटनगर जिला जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 80/2015 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता**

<u>प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8, 10, 11</u> कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि निवेदन है कि ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 232/0.43, 233/0.47, 234/0.40, 235/0.69, 236/0.36, 237/0.14, 238/0.35, 239/0.34, 240/0.39, 242/0.35, 243/0.14, 246/0.40, 247/0.36, 248/0.22, 249/0.34, 250/0.18, 251/0.39 कुल किता 17 कुल रकबा 5.95 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर वादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरजी देवी पत्नि मामराज जाति अहीर सा. देह	235/0.69, 237/0.14, 243/0.14, 248/2/0.1550 हैक्टेयर
2	भगवाना पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह राहिन जे.टी.जी.बी शाखा जयसिंहपुरा मूर्तहीन	242/0.35, 232/0.43, 233/0.47, 246/0.1950, 248/1/0.0425 हैक्टेयर
3	सोनी पत्नि स्व0 चन्दर, रामस्वरूप, मामराज पिता चन्दर, मूर्ति देवी पुत्री चन्दर कौम अहीर सा. देह	249/0.34, 248/0.0225 हैक्टेयर
4	गंगाराम पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह	247/0.36, 234/0.40, 238/0.35, 236/1/0.1725, 246/1/0.2050 हैक्टेयर
5	रिछपाल पुत्र लेखू कौम अहीर सा. देह	236/0.1875, 239/0.34, 240/0.39, 250/0.18, 251/0.39 हैक्टैयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 01.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.01.2020 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2020.01.27 14:26:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: